तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज RA 78/20 राजाराम आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2020	पत्रावली आज पेश हुईं। प्रार्थीगण एवं राज पैरोकार उपस्थित । प्रार्थीगण के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील लूनकरनसर के राजस्व ग्राम उच्छरंगदेसर के खसर नम्बर 389/1 तादादी 3.56 हैक्टेयर कब्जे एवं दखल में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित रहता हैं एवं उपरोक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं हैं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 389/1 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1097 स्थित हैं। प्राथीगण अपने खेत में आवागमन ग्राम लूनकरनसर के खेत खसरा नम्बर 1097 की उत्तर दिशा की सींव से आवागमन करते आ रहे है उक्त रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करते हैं एवं पशुधन लाते ले जाते है उक्त रास्ते से पुराने समय से आवागमन होता आ रहा है प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए स्वीकृत राश्ता नहीं है इस कारण प्रार्थीगण को परेशानी हो रही हैं। प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। ग्राम लूनकरनसर के खेत खसरा नम्बर 1097 तादादी 2.78 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज हैं जिसमें से प्रार्थीगण आवागमन करते आ रहे है इस लिए प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1097 तादादी 2.78 हैक्टेयर की भूमि मे से लगभग 7.10 बीघा दुरी तय करके अपने खेत में प्रवेश करते है इस कारण उक्त खसरें में लगभग 7.10 बीघा भूमि में प्रत्येक बीघा में 30–30 फुट रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें। प्रार्थीगण के पास उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1097 में चल रहे रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधा जनक एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 की उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1097 की उत्तर दिशा की सीव पर चौड़ाई में 30 फुट रास्ता पश्चिम से पूर्व दिशा में स्वीकृत करवाना चाहते है प्रार्थीगण रास्ते की भूमि में बदले में अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार प्रतिकर राशि देने को तैयार हैं। अप्रार्थी की उपरोक्त भूमि में से चौड़ाई में 30 फुट एवं लम्बाई जितनी प्रार्थीगण के खेत तक बनती है पश्चिम से पूर्व में गैरमुमकिन रास्ता प्रार्थीगण स्वीकृत करवाने का हकदार हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर से इस कार्यालय के पत्र कमांक 1158 दिनांक 26.08.2020 द्वारा निर्धारित 11 बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई । स्टेट की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार लूनकरनसर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा नियमानुसार राशि जमा करवाई जाने बाबत निवेदन किया। तहसीलदार लूनकरनसर से पत्र कमांक 675 दिनांक 27.08.2020 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में [illegible] ग्राम लूनकरनसर में से प्रस्तावित रास्ते की बाबत रिपोर्ट पेश [illegible] निवेदन किया कि खातेदार राजाराम वगैरह [illegible] मौजा उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर 389/[illegible] नम्बर 1097 से उत्तर दिशा में पश्चिम से पू[illegible] लम्बाई 434 मीटर एवं चौड़ाई 9.2 मीटर भूमि इस प्रस्तावित कटानी रास्ते के उपयोग में आएगी। खातेदार के खसरा नम्बर 389/1 तक पहुंच हेतु इसके अलावा रास्ता या वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं । खातेदार इस रास्ते को पुराने समय से आवागमन में उपयोग कर रहा हैं। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर /0.40 हैक्टेयर होगा। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प. 3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार आराजीराज भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है । इसका प्रतिकर डीएलसी दर से दुगने से देय होगा ।	

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:29:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित भूमि ग्राम लूनकरनसर की डीएलसी दर 32677 रूपये प्रति बीघा है जिसकी दुगनी 65354 रू प्रति बीघा होगी । प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर की राशि 104000 रूपये जमा करवायी जानी उचित बाबत रिपोर्ट पेश की। संलग्न पटवारी हल्का की मूल रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तावित भूमि, डीएलसी दर की प्रति पेश की गई। प्रार्थीगण की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम उच्छरंगदेसर खसरा नम्बर 389/1 संवत् 2073–76 एवं ग्राम लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1097 आराजीराज की संवत् 2071–2074 पेश की इसी प्रकार नक्शा ग्राम लूनकरनसर व उच्छरंगदेसर की प्रमाणित प्रतियां पेश की । प्रार्थीगण की ओर से निर्धारित राशि 104000 रू. के चालान जीआरएन नम्बर 42470846 दिनांक 03.09.2020 को जमा की प्रति पेश की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन एवं मनन किया । प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में कोई कटानी रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं। तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण रोही मौजा लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1097 जो रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में दिये गये निर्देशानुसार यदि कोई खातेदार अपनी जौत तक पहुंचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार को ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये की मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जौत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है । उक्त स्थिति में जिला स्तरिय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जावें।

राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में प्रदत निर्देशों की प्रार्थीगण पूर्ति करते है । स्टेट को रास्ता स्वीकृत किया जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं । अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए तहत रोही ग्राम लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1097 की उत्तर दिशा की सींव के पास पश्चिम से पूर्व 9.2 मीटर व 434 मीटर लम्बाई के माप में कुल 4000 वर्गमीटर अर्थात 0.40 हैक्टेयर माप में संलग्न नजरी नक्शा ए से बी 434 मीटर लम्बा एवं 9.2 मीटर चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। जिसकी किमत डीएलसी की दुगनी दर से जरिये जीआरएन 42470846 दिनांक 03.09.2020 से प्रार्थीगण ने जमा करवा दिया हैं। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावें की रिकॉर्ड में स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करे एवं पालना रिपोर्ट प्रेषित करावे। पत्राावली निर्णय [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 03.09.2020 [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Sh
Date: 2021.07.29 12:29:49 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर